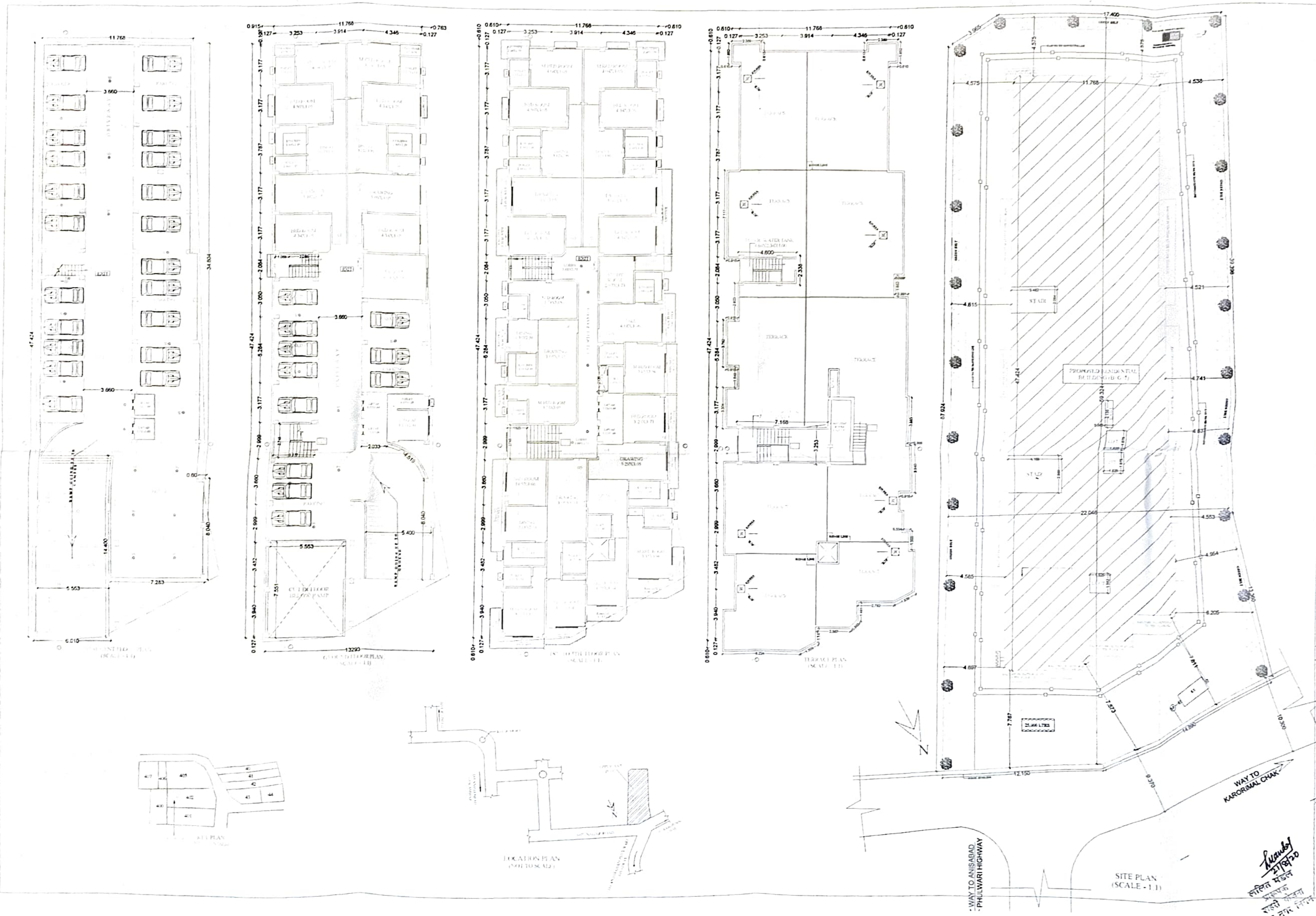

SPECIFICATION

(1) FOUNDATION - R.C.C PILE FOUNDATION
(2) SUPER STRUCTURE - 1st CLASS BRICK WORK IN CEMENT MOTER 1:6
(3) FLOORING - 025 TH I. P. S FLOORING OVER 15 DRY RAMMED KHOA OVER ONE LAYER BRICK FLAT SOLING OVER LOCAL SAND FILLING
(4) R. C. C. WORK - SLAB, LINTEL, STAIR, BEAM & CHAJJA IN 1 : 1.5 : 3 WITH PROPER REIN FOR CEMENT
(5) TERRACING - 10TH AVERAGE LIME TERRACING OVER 10 TH R. C. C. ROOF SLAB
(6) PLASTER - 012 TH CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE WALL & 006 CEMENT PLASTER ON CEILING
(7) DRAIN - 15 CM WIDE & 30 CM DEEP PUCCA DRAIN ROUND IN THE BUILDING
(8) COLOUR - AS PER CHOICE

AREA CALCULATION

TOTAL PLOT AREA (AS/DEED)	1292.75 Sqm.
TOTAL PLOT AREA (AS/POSESSION)	1282.69 Sqm.
BASEMENT FLOOR B/U AREA	11.94 Sqm.
GROUND FLOOR B/U AREA	242.25 Sqm.
1ST. FLOOR B/U AREA	588.94 Sqm.
2ND. FLOOR B/U AREA	588.94 Sqm.
3RD. FLOOR B/U AREA	588.94 Sqm.
4TH. FLOOR B/U AREA	588.94 Sqm.
5TH. FLOOR B/U AREA	588.94 Sqm.
TOTAL B/U AREA	3198.89 Sqm.

F.A.R. = 2.49

PARKING CALCULATION

FOR RESIDENTIAL :-
PARKING AREA REQUIRED (AS TABLE NO-19, S.No-3)@ 25% OF 3198.89= 799.72 Sqm.
TOTAL PARKING AREA REQUIRED = 797.865sqm.
CAR PARKING AREA PROVIDED AT COVERED Bsmt. Flr.
= 555.45 - Bsmt. FLOOR B/U AREA
= 555.45 - 11.94 = **543.51 SQM.**
CAR PARKING AREA PROVIDED AT COVERED GROUND FLOOR
= 503.41 - GROUND FLOOR B/U AREA
= 503.41 - 242.25 = **261.16 SQM.**
TOTAL PARKING AREA PROVIDED
=543.51 + 261.16 = **804.67SQM.**

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR
1. SRI Dr. JITENDER KUMAR , S/o- LATE RAM PD SINGH
2. SRI UMESH PRASAD, } S/O - LATE DEV SHARAN SINGH
3. SRI DHANESH KUMAR }
4. SRI BABITA DEVI, W/o- LATE KANCHAN SINGH
5. SMT RENU DEVI ,W/o- LATE KRISHNA PRASAD
6. SRI YOGENDRA SINGH } S/O - SRI RAM NARAYAN SINGH
7. SRI ASHOK KUMAR }
8. SRI BHAGWAN SINGH, S/o - LATE DEV NARAYAN SINGH
9. SMT SANGITA DEVI, W/o- LATE RAM BACCHAN SINGH
10. SRI BIRENDRA SINGH, S/o- LATE DEVE NARAYAN SINGH

MAUZA - BEUR , P.S. - BEUR.
THANA NO - 33, ,
KHATA NO - 60, S.PLOT NO.- 402,
DIST. - PATNA (BIHAR).

Er. Pankaj Kr. Karn
(Engineer)
EMP No.-ER/10/2018
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

SIGNATURE OF ARCH/ENG.

Er. Ravindra Kumar
(Structure Engineer)

SIGNATURE OF OWNER | SIGNATURE OF STR. ENG.

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
PATNA REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (DISSOLVED)
Case No. P/Harnichak-PRN-1B+G+5/5½ R
Sanction of Plan Accorded under Section 314, 315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007 by the Municipal Commissioner, Patna on 15/06/2020
SANCTION OF PLAN ACCORDED
31/8/2020
निदेशक
शहरी योजना
पटना नगर निगम, पटना

21/8/20
ललित मंडल
प्रकल्पक
शहरी योजना
पटना नगर निगम

01/02

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांकः 09089
Date / दिनांकः 31/08/2020

सेवा में,

श्री जितेन्द्र कुमार एवं अन्य,
पिता–श्री राम प्रसाद सिंह
पता– ब्रम्हपुर, फुलवारी,
पटना–800001

विषय :– प्लॉन केस सं0–P-/Harnichak -PRN-1B+G+5/54/2019 ऑटो मैप आवेदन संख्या–PMC BPAS-00187/2019/BP की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन संख्या– P-/Dhanaut -PRN-G+4/048/2019 ऑटो मैप आवेदन संख्या–PMC BPAS-00187/2019/BP के संदर्भ में श्री जितेन्द्र कुमार एवं अन्य,पिता–श्री राम प्रसाद सिंह,पता– ब्रम्हपुर, फुलवारी,पटना–800001 के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित............... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ....सर्वे प्लॉट सं0–402,खाता सं0–60, थाना सं0–33, मौजा–हरनीचक पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/ निर्वधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से अवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 804.67 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.37 मीटर चौड़ाई से 10.30 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 0.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) भवन उपविधि के कंडिका–09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/ बिल्डर की होगी।
Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to three years from the date such a permission is granted.

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुगोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है।भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/ हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये

जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ़) ग्रीन–एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप–विधि, 2014 के कंडिका–32 के अनुरुप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ण) निर्माण लागत की कुल प्राक्कलित राशि को प्रत्येक वार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप से उपकर (Cess) की राशि बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा कर दिया जाय।

(त) लेबर सेस की राशि के संबंध में कार्यालय उप श्रमायुक्त पटना प्रमण्डल (नियोजन भवन) के ज्ञापांक सं0–1737, दिनांक–19.08.2020 में प्रत्येक वार्षिक किस्तों की दर 1,23,345/–(एक लाख तेईस हजार तीन तीन सौ पैतालीस) रूपये निर्धारित की गई है जिसे भुगतान करने की जवाबदेही आवेदक की होगी।

उप श्रमायुक्त के ज्ञापांक–1737,दिनांक–19.08.2020 में उल्लेखित शर्त एवं नियमों को आवेदक द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भवन उपविधि–2014 के सुसंगत धाराओं के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

21/8/2020

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।